(डी.आई. पी.आर. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

(ज्योतिराव फूले सर्किल, नयाबास, अलवर (राज0) – 301001)

क्रमांक : एफ 05( ) स्टोर/उवस/2021–22/6825 दिनांक : 24.09.2021

बिड आमंत्रण सूचना

कार्यालय के क्षेत्राधिकार विभिन्न पौधशालाओं में सोलर पैनल पावर युनिट 05 कि0वा0/10कि0वा0 आपूर्ति मय इन्स्टालेशन हेतु सोलर पैनल पावर युनिट स्थापित करने वाले जी0एस0टी0 पंजीकृत विनिर्माता/अधिकृत डीलर/कार्य का अनुभव रखने वाली Ministry of New and renewable energy (MNRE) से अधिकृत फर्मों से निम्नानुसार बिड ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा आमंत्रित की जाती है। कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर में जी0एस0टी0 पंजीकृत विनिर्माता/अधिकृत डीलर/कार्य का अनुभव रखने वाली MNRE से अधिकृत फर्मों द्वारा निविदा प्रपत्रों एवं शर्तों को दिनांक 25.09.2021 से 06.10.2021 तक कार्यालय समय में देखा जा सकता है एवं वेबसाईट http://Sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

कार्य का विवरण	कार्यस्थल नर्सरी	क्षमता	अनुमानित लागत	बिड सिक्योरिटी	निविदा शुल्क	निविदा खोलने की दिनांक व समय
Supply and Installation and grid connection of Solar Panel Power Units of 5KW / 10KW (Net Metering, Rooftop Mount) Solar Panel 500 Watt (ISI/MNRE) Inverter (ISI) Batteries (ISI) Structure (G.I. Iron) Wiring (Polycab/ Havells/ ISI Marks) (With Minimum warrantee and maintenance of 05 Years for system and 25 year for panels)	अलवर रेंज	10 KW	5,00,000/–	घोषणा पत्र (मानक प्रारूप संलग्न है)	1000/–	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 08.10.2021 सांय 03:00 बजे
	थानागाजी रेंज	05 KW	2,50,000/–			
	राजगढ रेंज	05 KW	2,50,000/–			
	किशनगढबास रेंज	05 KW	2,50,000/–			
	तिजारा रेंज	05 KW	2,50,000/–			
	बहरोड रेंज	05 KW	2,50,000/–			

निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदा में भाग लेने वाले आपूर्तिकर्ता निविदा को इलैक्ट्रोनिक फार्मेट वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करावें।

शर्तें:–

1. निविदा शुल्क एवं बिड सिक्योरिटी घोषणा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित स्टाम्प शुल्क सहित उप वन संरक्षक, अलवर के नाम पर देय होगा।
2. निविदाऐं डाउनलोड, अपलोड खोलने एवं दस्तावेज जमा कराने की तिथि व स्थान निम्नानुसार है:–

   (अ) निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक 25.09.2021 शनिवार प्रातः 09:00 बजे से दिनांक 06.10.2021 बुधवार सांय : 06:00 बजे तक होगी।

(ब) निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फार्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर 06.10.2021 बुधवार सांय 06:00 बजे तक अपलोड कराये जा सकते हैं।

(स) दिनांक 08.10.2021 को प्रातः 11:00 बजे तक निम्न दस्तावेज कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जावें:-

(i) निविदा शुल्क डी.डी. रू. 1000/- उप वन संरक्षक, अलवर के नाम।

(ii) प्रोसेसिंग शुल्क डी.डी. रू. 1000/- रू. डी.डी. RISL के नाम।

(iii) बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र रू. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर।

(iv) जी.एस.टी. रजिस्ट्रैशन प्रमाण पत्र – स्व-प्रमाणित।

(v) जी.एस.टी. क्लीयरेंश प्रमाण पत्र – स्व-प्रमाणित।

(vi) पैन कॉर्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।

(vii) Ministry of New and renewable energy (MNRE) से अधिकृति प्रमाण पत्र।

(viii) सोलर पैनल ऊर्जा यूनिट स्थापित करने संबंधित अनुभव (सरकारी स्तर पर स्थापित करने) प्रमाण पत्र

(द) उक्तानुसार बिन्दु सं0 (स) में वर्णित दस्तावेज निर्धारित तिथि दिनांक 08.10.2021 शुक्रवार प्रातः 11:00 बजे तक जमा कराने वाली फर्मों की ही तकनीक बिड दिनांक 08.10.2021 शुक्रवार सांय 03:00 बजे खोली जा सकेगी। दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने पर तकनीकी बिड नहीं खोली जावेगी।

(य) जिन फर्मों की तकनीकी बिड कमेटी द्वारा सही पाये जायेगें, उनकी ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

(र) प्राप्त निविदाऐं प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फार्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर में दिनांक 08.10.2021 शुक्रवार सांय 03:00 बजे खोली जायेगी।

3. **दरें समस्त प्रकार के कर एवं इस वन मण्डल के अधीन कार्यरत रेंजों में पहुंचाने तक तथा लोडिंग, अनलोडिंग व इन्स्टालेशन grid connection के समस्त खर्चों सहित एफ.ओ.आर. होगी।**

4. निविदा शुल्क के अलावा राशि 1000/- रू. का डी.डी./बैंकर्स चैक **मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल., जयपुर** के पक्ष में जयपुर देय भुगतान संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. निविदा प्रपत्र के साथ वैध जी.एस.टी. नम्बर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।

6. निविदा खोलने की दिनांक को अवकाश होने की स्थिति में निविदाऐं अगले कार्य दिवस में खोली जावेगी।

7. सामग्री दरें जी.एस.टी. व अन्य कर सहित देनी होगी।

8. अनुमोदित दरें 31.03.2022 तक लागू रहेगी एवं विशेष परिस्थितियों में नियमानुसार अवधि आगे बढाई जा सकती है।

9. ई – निविदा अपलोड कराने में यदि किसी प्रकार की त्रुटि / गलती रहती है तो संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगें।

10. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, जी.एस.टी. नियम 01 जुलाई 2017 सामग्री प्रदाय प्रावधान लागू होगें।

11. बिना किसी कारण बताये ई-निविदा को गठित कमेटी द्वारा निरस्त की जा सकती है।

12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन समिति का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। उपापन समिति को निविदा के संबंध में सर्वाधिकार सुरक्षित है।

13. जिस फर्म की दरें स्वीकृत की जावेगी, उसे 03 दिवस में 3 प्रतिशत Performance सिक्योरिटी राशि जमाकर नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। जिसका व्यय सम्बन्धित फर्म को वहन करना होगा।

14. उपरोक्त शर्तों का भलीभांति अध्ययन कर व मतलब समझें जाने के पश्चात निविदा ऑनलाईन भरें।

15. सरकार न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगी।

16. जिस कार्य या सामग्री के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है यदि सम्बन्धित नियमों के अनुसार उसके लिए GST/TIN No. पंजीयन अनिवार्य है तो फर्म का कहां व्यवसाय स्थित है वहां के प्रचलित GST/TIN अधिनियम के अंतर्गत उसका पंजीयन आवश्यक है। GST/TIN No. पंजीयन संख्या का उल्लेख करते हुए पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्य कर अधिकारी का नवीनतम GST/TIN No. प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2021 तक वेट चुकता प्रमाण पत्र निविदा के साथ नत्थी किया जाना आवश्यक होगा। नियमानुसार करों की स्त्रोत पर कटौति की जावेगी। पेन कॉर्ड धारक नहीं होने की दशा में 20 प्रतिशत या लागू दर से आयकर टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी। पेनकार्ड की फोटोप्रति साथ में संलग्न करें।

17. वर्क आर्डर जारी होने के 10 दिवस में कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक है तथा कार्य एक माह में पूर्ण करना होगा, समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर नियमानुसार विलम्ब की शास्ति देय होगी।

18. परिवहन में जो वाहन उपयोग में लाया जावें, उनके पंजीयन/बीमा/टैक्स आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी (ट्रांसपोर्ट एजेन्सी) निविदादाता की होगी। परिवहन करते समय यदि वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि कोई क्लेम इत्यादि होता है तो उसके भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा।

19. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, जो स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।

20. फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोपेगा या उप भाडे (सब लेट) पर नहीं देगा।

21. धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

22. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत (जब्त) किया जावेगा:–

    (अ) जब निविदा/संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

    (ब) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक रूप से करने असफल रहा हो।

    (स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामलें में युक्ति समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

23. निविदा सूचना में वर्णित मात्रा अनुमानित है। मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

24. कार्य संतोषप्रद ढंग से करने के बाद सामान्य वित्तीय लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपापन से पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

25. विवादास्पद मदों के संबंध में राशि 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा विवाद का निपटारा होने पर उसका भुगतान कर दिया जावेगा।

26. जिन मामलों में परीक्षण की जरूरत है भुगतान तभी किया जायेगा जब वे परीक्षण कर लिए जायेगें तथा प्राप्त हुए परीक्षण विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगें।

27. कार्यों की दरें सभी प्रकार के टैक्स, वेट इत्यादि सहित होंगी एवं इन दरों को चुकाने के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

28. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी एवं निविदा के साथ निविदादाता द्वारा अलग से लगाये गये संलग्न पत्रादि स्वीकार योग्य नहीं होगें। दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित की जावे तथा कटिंग होने पर उसे लघु हस्ताक्षर करके प्रमाणित की जावें।

29. आयकर की कटौति नियमानुसार की जायेगी।

30. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार सभी शर्तें लागू होगी।

31. उपरोक्त शर्तों का भलीभांति अध्ययन कर व मतलब समझें जाने के पश्चात निविदा ऑनलाईन भरें।

32. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अलवर रहेगा।

33. प्रत्येक निविदादाता के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत जारी डिजीटल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

34. बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र पर 50/- रू0 स्टॉम्प ड्यूटी इस पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है।

35. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) निर्धारित वांरटी अवधि के पश्चात लौटाई जावेगी।

उप वन संरक्षक,
अलवर

क्रमांक : एफ ( ) स्टोर/उवस/2021-22/6826-37 दिनांक : 24.9.2021

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, अलवर/राजगढ।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलवर/बहरोड/तिजारा/किशनगढबास/लक्ष्मणगढ/थानागाजी/राजगढ।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

उप वन संरक्षक,
अलवर